5 ट्रॉली जूते-चप्पल, दो टन कचरा उठाया

कांवड़यात्रा के समापन के बाद नपा के 300 स्वच्छता मित्रों ने संभाली सीवन तट की सफाई व्यवस्था

नवभारत न्यूज

सीहोर 26 अगस्त. कांवड़ यात्रा के दौरान देशभर के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर पालिका का अमला पूरी तरह मुस्तैद है. यात्रा के दौरान नदी चौराहा, सीवन नदी ब्रिज और फोरलेन किनारे बड़ी मात्रा में पूजन सामग्री, खाद्य सामग्री का कचरा और अन्य अपशिष्ट जमा हो गया था. वहीं कांवड़ लेकर रवाना हुए हजारों श्रद्धालु अपने जूते-चप्पल सड़क किनारे छोड़ गए, जिन्हें बाद में वापस लेने कोई नहीं पहुंचा. नगर पालिका ने इन्हें भी एकत्रित कर पांच ट्रॉली भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा है.

नगर पालिका ने कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था के लिए करीब 300 सफाई कर्मचारियों को मैदान में उतारा था. इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी कुबेरेश्वरधाम में भी तैनात रहे. कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही मंगलवार शाम से नदी चौराहा क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था. यहां करीब 20 कर्मचारियों की टीम ने सड़क किनारे बिखरी पड़ी पूजन सामग्री को अलग-अलग एकत्रित कर पूजन सामग्री वाहन से भेजा, जबकि अन्य कचरे को भी ट्रॉलियों में भरकर हटाया गया.

कांवड़ यात्रियों के लिए शहर में जगह-जगह निशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता और पानी की व्यवस्था की गई थी. इन सेवा स्टॉलों के आसपास भी बड़ी मात्रा में डिस्पोजेबल सामग्री और अन्य कचरा जमा हो गया था. नगर पालिका के अनुसार अभी तक करीब दो टन कचरा उठाया जा चुका है और सफाई का काम लगातार जारी है.

नगर पालिका अब फोरलेन के दोनों ओर व्यापक सफाई अभियान चलाने जा रही है. गुरुवार से ओल्ड क्रिसेंट होटल से चौपाल सागर तक सड़क के दोनों तरफ बिखरे कचरे को हटाया जाएगा. उप सफाई पर्यवेक्षक किशोर सिंह नागर ने बताया कि अब तक पांच ट्रॉली जूते-चप्पल और करीब दो टन कचरा उठाया जा चुका है. शेष क्षेत्रों में भी सफाई का काम लगातार जारी है.

अभियान चलाकर कर रहे सफाई

पूरे सावन माह और कावड़ यात्रा को देखते हुए नगरपालिका ने विशेष सफाई व्यवस्था की थी. यात्रा के बाद जहां - जहां कचरा जमा है वहां विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई जा रही है. ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे. नपा के सफाई मित्रों ने इस बार सराहनीय कार्य किया है. लगातार बिना कोई छुट्टी लिए वह शहर की सफाई करने में जुटे रहे. मैं उन्हें व नपा के कर्मचरियों को साधुवाद देता हूं. उनकी मेहनत रंग लाई.

प्रिंस राठौर,
नगरपालिका अध्यक्ष

सोने की गिन्नियों का लालच देकर की हत्या

- रुपए वापस मांगने पर धारदार हथियारों से हमला
- हरदा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

हरदा, 26 अगस्त. कोलवा गांव में 48 वर्षीय परमानंद जाट की हत्या के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने परमानंद को सोने की गिन्नियां दिलाने का झांसा देकर सुनसान खेत में बुलाया था. उसके पास मौजूद करीब दो लाख रुपए लूटने के बाद धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत के पास नाले में फेंक दिया. पुलिस अधीक्षक शशांक ने बताया कि मुख्य आरोपी कमल अहिरवार निवासी कोलवा ने परमानंद को सोने की गिन्नियां खरीदने का लालच दिया था. कमल के कहने पर परमानंद सोमवार रात करीब दो लाख रुपए लेकर घर से निकला। सुनसान खेत में कमल के अलावा हरिओम और उसका साला अक्षय, दोनों निवासी गुठानिया, मौजूद थे.

आरोपियों ने रुपए लेने के बाद गिन्नियां देने की बात कही. जब परमानंद को पता चला कि उनके पास गिन्नियां नहीं हैं और उसने रुपए वापस मांगे तो तीनों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

इंडोनेशिया में एम्स के डॉ. सूर्य बाली ने प्रस्तुत किया शोध

भोपाल, 26 अगस्त. इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय जनस्वास्थ्य सम्मेलन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. सूर्य बाली ने भारत का प्रतिनिधित्व किया.

उन्होंने मध्य प्रदेश के किशोरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले दबाव और इसके पीछे छिपे प्रमुख कारणों पर अपना वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रस्तुत किया. यह सम्मेलन 'सीमाओं से परे: स्थिरता, नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के माध्यम से जनस्वास्थ्य को आगे बढ़ाना' विषय पर केंद्रित था, जिसमें दुनिया भर के जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया. डॉ. बाली ने मौखिक वैज्ञानिक सत्र के दौरान शोध के निष्कर्ष साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सही जानकारी, समय पर सहायता और व्यापक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है.

शोध में यह बात उभरकर आई कि ऐसे संवेदनशील मामलों की रोकथाम के लिए डेटा-आधारित प्रभावी रणनीतियां तैयार करने और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत बनाने की तुरंत आवश्यकता है. इस दौरान वैश्विक विशेषज्ञों के साथ शोध निष्कर्षों को स्वास्थ्य नीतियों और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करने पर भी गहन चर्चा हुई. उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण के लिए वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्ष प्रो. अनिस एन. हाप्पी और सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) हेमतराम यादव (कार्यकारी अधिष्ठाता, सिटी यूनिवर्सिटी मलेशिया) द्वारा डॉ. बाली को प्रस्तुति प्रमाण-पत्र एवं सम्मान प्रदान किया गया.

गो सम्मान अभियान को लेकर हुई संभागीय बैठक

- 17 दिसंबर को जंबूरी मैदान में होगा बड़ा आयोजन

नवभारत न्यूज

भोपाल, 26 अगस्त. गो-हत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध, गो-तस्करी पर रोक और गो-संवर्धन की नीति बनाने की मांग को लेकर 17 दिसंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में बड़ा आयोजन किया जाएगा. गो सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने इसमें प्रदेशभर से 11 लाख लोगों को लाने और तीसरे चरण में देशभर से जुटाए गए 31 करोड़ हस्ताक्षर केंद्र सरकार को सौंपने का लक्ष्य रखा है.

अभियान की तैयारी को लेकर बुधवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान भवन में संभागीय बैठक हुई. इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिला व तहसील स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए. ग्वाल संत गोपालानंद सरस्वती ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गोवंश की सुरक्षा के साथ गो-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है. पहले चरण में पांच करोड़ और दूसरे चरण में 15 करोड़ हस्ताक्षर केंद्र सरकार को दिए जा चुके हैं. प्रदेश प्रभारी श्रीराम शर्मा के अनुसार, अभियान को गांवों तक ले जाने के लिए टोलियां बनाई जाएंगी. हर ग्राम पंचायत से 2,100 हस्ताक्षर कराने और प्रत्येक गांव से 50 लोगों को भोपाल लाने का लक्ष्य तय किया गया है. पंचायत स्तर पर 21 जोड़े भी अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे. अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन पर विशेष राखियां उपलब्ध कराई जाएंगी. इनके जरिए बहनें भाइयों से गोवंश की रक्षा और संवर्धन में सहयोग का संकल्प लेने की अपील करेंगी.

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
बीपीसीएल 'ए' इंस्टॉलेशन, दूसरी मंजिल, एमिनिटीज़ ब्लॉक, शिवडी, मुंबई - 400015

डोमेन विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति

भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (BPRL) को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए डोमेन विशेषज्ञ सलाहकारों (भू-विज्ञान एवं रिज़र्वायर इंजीनियरिंग) की नियुक्ति करना चाहता है। नियुक्ति से संबंधित विवरण BPRL की वेबसाइट **www.bharatpetroresources.in** पर Tender → Hiring of domain expert advisors के अंतर्गत उपलब्ध होंगे। इस नियुक्ति से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / नियत तिथि में विस्तार आदि, यदि कोई हो, तो BPRL की वेबसाइट **http://www.bharatpetroresources.in** पर अपलोड किए जाएंगे और किसी अन्य माध्यम में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय: **14.09.2026 को 12:00 बजे तक**।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें: श्री मनोज मौर्य, वरिष्ठ प्रबंधक, BPRL
फोन: +91 9619585577 / ई-मेल: manoj.maurya@bharatpetroresources.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः- ग्राउंड फ्लोर, G.K. टॉवर, मेन रोड, गोपालगंज, सागर-470001, मध्य प्रदेश में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के अधिकृत अधिकारी ("AO") ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित खातों में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इस संपत्ति को "जैसी है, जहाँ है, जैसी है और बिना किसी अधिकार के" IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री राजकुमार श्रीमती रेनू प्रजापति (प्रोस्पेक्ट नं. IL10849396)	05/01/2026 रू. 5,69,029/- (पाँच लाख उनहत्तर हजार उनतीस मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नंबर 242/62, खसरा नंबर 479, ग्राम-सिरचोपी, पीएच नं. 27, R.N.M. बीना, सागर, मध्य प्रदेश 470113 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः संपत्ति का क्षेत्रफल क्षेत्रफलः 837	03/08/2026 कुल बकाया राशि 10/08/2026 रू. 6,50,087.57 (छह लाख पचास हजार सत्तासी और सत्तावन पैसे मात्र)	रू. 8,37,000/- (आठ लाख सैंतीस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रू. 83700/- (तेरासी हजार सात सौ मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
29.09.2026 11:00 बजे - 14:00 बजे	01.10.2026 शाम 5 बजे तक।	05.10.2026 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

भुगतान विधि:- EMD का पेमेंट सिर्फ.ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए। पेमेंट करने के लिए, https://www.iiflonehome.com पर जाएं और उस प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए दिए गए खास लिंक का इस्तेमाल करें। ध्यान दें: पेमेंट लिंक हर प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए अलग होता है। पक्का करें कि आप उसी प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप पब्लिक ऑक्शन के जरिए खरीदना चाहते हैं। बाकी पेमेंट के लिए – https://www.iiflonehome.com > My Bid > Pay Balance Amount पर लॉग इन करें।

नियम एवं शर्तें:-
1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

SARFAESI एक्ट, 2002 के नियम 8 (6) के तहत बिक्री का कानूनी 30-दिन का नोटिस
उधार लेने वाले को सूचित किया जाता है कि वह ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्च, टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले चुका दे। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे ब्याज और खर्चों सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- सागर, दिनांकः 27.08.2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 2002 (संक्षेप में नियम) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त सरफेसी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए अधिकृत अधिकारी में निहित होने के पश्चात, अधिकृत अधिकारी ने उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति को नीलामी द्वारा बेचने का निर्णय लिया है।
इसके द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति, जो फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी), फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई26-14 (फीनिक्स) की न्यासी के रूप में कार्यरत, जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/बी/1, सहार रोड एवं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के चौराहे पर, विले पार्ले पूर्व, मुंबई-400057 में स्थित है, के पक्ष में बंधक रखी गई है। उक्त संपत्ति को आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 29.12.2025 को किए गए ऋण हस्तांतरण समझौते के माध्यम से फीनिक्स के पक्ष में ऋणों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, जैसी है, जहाँ है; जैसी है, जो कुछ भी है; तथा बिना किसी प्रत्यावर्तन के की शर्त के आधार पर ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। उक्त बिक्री बकाया राशि तथा उस पर लागू होने वाले आगे के ब्याज, शुल्क, प्रभार, व्यय आदि की वसूली के लिए की जाएगी। यह बिक्री सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के प्रावधानों तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं नियम 9 के अनुसार की जाएगी। उक्त संपत्ति की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी, जो निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.iiflonehome.com

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री भैयाजी विश्वकर्मा शिवानी फर्नीचर, श्री सुनील विश्वकर्मा श्रीमती मथुरा बाई (प्रोस्पेक्ट नं. IL10468570)	20/05/2025, रू. 1504698/- (पंद्रह लाख चार हजार छह सौ अट्ठानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है: रिहायशी मकान जो ख.नं.38/12 के एक हिस्से पर बना है, गाँव बाके मौजा रसूलिया, पीएच नं.17, नगर पालिका वार्ड नं.22, तह. और जिला होशंगाबाद, म.प्र., 461001 में स्थित है। एरिया (वर्गफीट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः जमीन का एरिया, बना हुआ एरिया, कारपेट एरिया; प्रॉपर्टी का एरियाः 800.00, 800.00, 640.00	21/01/2026 कुल बकाया राशि 24/07/2026 रू. 18,49,182.22/- (अठारह लाख उनचास हजार एक सौ बयासी और बाईस पैसे मात्र)	रू. 17,28,000/- (सत्रह लाख अट्ठाइस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रू. 172800/- (एक लाख बहत्तर हजार आठ सौ मात्र)
भूपेन्द्र जी जाटव श्रीमती रचना जाटव प्रिंस रेडीमेड गर्ल्स वेयर (प्रोस्पेक्ट नं. IL10828623)	27/06/2025 रु. 1075106/- (दस लाख पिचहत्तर हजार एक सौ छह मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र)	इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्साः पटवार हल्का नंबर 71, खसरा नंबर 234/4/2, गांव देओरी, तह. देओरी, जिला सागर, म.प्र., 470226, भारत से निकला जमीन का प्लॉट। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः जमीन का एरिया, बिल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया। प्रॉपर्टी का एरियाः 1284.40, 967.00, 821.00	25/02/2026 कुल बकाया राशि 24/07/2026 रू. 14,40,590.86 (चौदह लाख चालीस हजार पाँच सौ नब्बे और छियासी पैसे मात्र)	रू. 5,77,800/- (पाँच लाख सतत्तर हजार आठ सौ मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रू. 57,780/- (सत्तावन हजार सात सौ अस्सी मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
11.09.2026 11:00 बजे - 14:00 बजे	15.09.2026 शाम 5 बजे तक।	17.09.2026 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

भुगतान विधि:- EMD का पेमेंट सिर्फ.ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए। पेमेंट करने के लिए, https://www.iiflonehome.com पर जाएं और उस प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए दिए गए खास लिंक का इस्तेमाल करें। ध्यान दें: पेमेंट लिंक हर प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए अलग होता है। पक्का करें कि आप उसी प्रॉपर्टी/सिक्योर्ड एसेट के लिए लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप पब्लिक ऑक्शन के जरिए खरीदना चाहते हैं। बाकी पेमेंट के लिए – https://www.iiflonehome.com > My Bid > Pay Balance Amount पर लॉग इन करें।

नियम एवं शर्तें:-
1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर पर्याप्त समय पूर्व अपने विवरण का पंजीकरण कराना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को भाग लेने से पूर्व बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। भुगतान करने के पश्चात बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई-निविदा प्रपत्र/बोली प्रपत्र (ई-साइन) जमा करना होगा।
2. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली में बोली वृद्धि राशि वाले कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणकों में वृद्धि की जाएगी। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो नीलामी का समापन समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के पश्चात 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी की राशि समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा तथा शेष 75% बोली राशि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। समस्त जमा एवं भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम के अनुसार किया जाएगा।
4. क्रेता को लागू उपकर, स्टाम्प शुल्क, शुल्क तथा अन्य सभी वैधानिक देय राशियों अथवा अन्य देय राशियों, जैसे नगरपालिका कर, भूमि के हस्तांतरण या अंतरण से संबंधित खर्च तथा संपत्ति से संबंधित सभी अन्य आकस्मिक लागत, शुल्क एवं सभी करों और दरों आदि का भुगतान स्वयं करना होगा।
5. बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।
6. ई-नीलामी से संबंधित विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
ई-मेलः care@iiflonehome.com सहायता दूरभाष क्रमांकः 1800 2672 499
7. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच प्रातः 09:30 बजे से सायं 18:00 बजे तक IIFL HFL के टोल-फ्री नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क करें अथवा निम्नलिखित ई-मेल पर लिखें: care@iiflonehome.com / customercare.retail@phoenixarc.co.in
8. उपर्युक्त उल्लिखित उधारकर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित परिसंपत्ति में रखी हुई घरेलू वस्तुओं को 7 दिनों के भीतर प्राप्त कर लें। अन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में संपत्ति की किसी भी हानि के लिए PHOENIX ARC LIMITED उत्तरदायी नहीं होगा।
9. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे उपर्युक्त वस्तुओं को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उक्त वस्तुओं को कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
10. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी भी चरण में भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से जमा की गई राशि, जिसमें बयाना राशि (ईएमडी) भी शामिल है, जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बिक्री हेतु रखा जाएगा।
11. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित करने, रद्द करने अथवा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा/नीलामी से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में PHOENIX ARC LIMITED के अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. ईएमडी के साथ संलग्न न की गई बोलियों/निविदाओं को अमान्य माना जाएगा। ईएमडी की राशि निविदा खोलने/नीलामी की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी की राशि पर किसी ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।
13. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था स्वयं बोलीदाता द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी,नेटवर्क संबंधी समस्या,प्रणाली के बंद हो जाने,बिजली आपूर्ति बाधित होने आदि के लिए PHOENIX ARC LIMITED/सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. कुल बकाया राशि ऋण की पूर्ण एवं अंतिम समाप्ति राशि नहीं है। अन्य सभी शुल्क, यदि कोई हों, तो ऋण बंद करते समय निर्धारित एवं गणना किए जाएंगे।
15. बोलीदाता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि हमारी वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर बोली के आवेदन के समय दर्ज किया गया नाम ही अंतिम नाम माना जाएगा तथा उच्चतम बोली पत्र एवं बिक्री प्रमाण-पत्र बिना किसी अपवाद के उसी नाम से पंजीकृत किया जाएगा।
16. PHOENIX ARC LIMITED सर्वोत्तम प्रस्ताव का निर्णय करेगा तथा उसे अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए निविदाएं खोलने के पश्चात बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने का विवेकाधिकार होगा। साथ ही, सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के पश्चात प्रस्ताव में सुधार के लिए आपसी बोली (इंटर-सी बोली) की अनुमति देने तथा बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी PHOENIX ARC LIMITED के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा/नीलामी/ई-नीलामी विफल होने की स्थिति में PHOENIX ARC LIMITED को कानून के अनुसार निजी समझौते (प्राइवेट ट्रीटी) के माध्यम से संपत्ति बेचने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संभावित बोलीदाताओं को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि बोली लगाने से पूर्व संपत्ति के संबंध में अपना स्वतंत्र उचित परिश्रम एवं जांच-पड़ताल स्वयं करें, जिसमें संपत्ति का निरीक्षण, स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच तथा किसी भी प्रकार के भार/बंधक/दावे आदि की जांच शामिल है।
18. संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार की बकाया राशि, शुल्क, देनदारियां या दायित्व, जिनमें रखरखाव शुल्क, बिल्डर या सोसायटी की बकाया राशि, संपत्ति कर, उपयोगिता सेवाओं के शुल्क तथा अन्य सभी वैधानिक या गैर-वैधानिक देय राशियां शामिल हैं, चाहे इस सूचना के समय उनके बारे में जानकारी हो या न हो, का वहन पूर्णतः सफल बोलीदाता द्वारा ही किया जाएगा।

SARFAESI एक्ट, 2002 के नियम 9 के उप-नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री का नोटिस
उधार लेने वाले को सूचित किया जाता है कि वह ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्च, टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले चुका दे। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर